# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय सहायक कलक्टर ( फास्ट ट्रेक ) श्रीमाधोपुर (सीकर)

मदनलाल बनाम सत्यनारायण वगै.

किस्म मुकदमा दावा स्थायी निषेधाज्ञा नं. 762 सन 2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु |
|---|---|---|
| 19.06.2023 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Dilip Singh<br>Date: 2023.08.02 10:16:15 IST<br>Reason: SelfAttested<br>19/06/23<br>( दिलीप सिंह )<br>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) | |

# न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

## पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 185 / 2009 | 2017 / 00446 | 15.07.2009 | 19.06.2023 |

बी0टी0 नम्बर 762 / 2017

### उनवान प्रकरण

1. मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल (मृत्तक):–

    1 / 1. सुभाषचन्द्र

    1 / 2. मूलशंकर

    1 / 3. राजेश

    1 / 4. योगेश

    पुत्रगण स्व0 मदनलाल

    1 / 5. सावित्री देवी पत्नि स्व0 मदनलाल

    1 / 6. कान्ता पुत्री स्व0 मदनलाल

    जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 20 अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादीगण——

### बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल÷ (मृत्तक)

    1 / 1. दिनेश

    1 / 2. नरेन्द्र

    पुत्रगण स्व0 सत्यनारायण

    1 / 3. प्रेम

    1 / 4. इन्द्रा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:15 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पुत्रियां स्व0 सत्यनारायण

1/5. गायत्री देवी पत्नि स्व0 सत्यनारायण (फौत)

जाति समस्त ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 20 अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

2. उपपंजियक श्रीमाधोपुर हाल अजीतगढ।

3. पटवार हल्का अजीतगढ ।

4. तहसीलदार श्रीमाधोपुर ।

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित :–

श्री गिरीराज शर्मा/रामजीलाल सैनी, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री महेन्द्र सिंह खर्रा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/4 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से।

## दावा बंटवारा तकास्मा एवं उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
## अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## –:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 253 रकबा 0.93 हैक्टर, 261 रकबा 1.65 हैक्टर, 1943 रकबा 0.86 हैक्टर, 1958 रकबा 0.77 हैक्टर, 2150 रकबा 0.64 हैक्टर, 195 रकबा 0.88 है[illegible] रकबा 0.12 हैक्टर, 254 रकबा 0.22 हैक्टर, 255 रकबा 0.56 [illegible] 6.63 हैक्टर तन ग्राम अजीतगढ में अवस्थित हैं। जो संयुक्त रूप से [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं व राजस्व रिकार्ड में भी संयुक्त रूप से 1/2, 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:15 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
19/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की खातेदारी दर्ज चली आ रही है व राजस्व लगान भी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 अदा करते आ रहे हैं। उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक है जो पूर्वजो के जमाने से चली आ रही है। पूर्व मे वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज का उक्त तथाकथित भूमि मे कब्जा काश्त चला आ रहा था। अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका वैधानिक बंटवारा नही हुआ है। भूमि ख0न0 195, 196 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्टर जिसमे पानी के पुले लगे हुये हैं। जिस पर पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त आधिपत्य रहा है व पूर्वजो के बाद वादी एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं व पानी के पुले भी संयुक्त रूप से कटवाकर वादी एवं प्रतिवादी बराबर–बराबर हिस्से में लेते रहे है। उक्त भूमि सैटिलमेन्ट की गडबडी से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी से करीब 10 वर्ष बड़ा होने व कर्ता धर्ता होने से उक्त भूमि प्रतिवादी के अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज हो गई। वरवक्त प्रथम सैटिलमेन्ट वादी अल्पायु का था तथा सभी कार्य प्रतिवादी संख्या 1 ही करता था। जबकि उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से पूर्वजो के जमाने से काबिज काश्त चले आ रहे हैं व उक्त भूमि पैत्रिक है। जिसमें वादी अपने 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। पूर्व मे वादी को उक्त भूमि में स्वयं का नाम दर्ज नही होने बाबत जानकारी नहीं हुई। वरवक्त काश्त पैमाईशी वादी व प्रतिवादी संयुक्त रूप से ही काश्त करते थे। प्रतिवादी संख्या 1 काफी जालसाजी है व वादी को बरबाद करने व वादी की हक हिस्सा की भूमि को नाजायज रूप से हडपने व दिगर भू–माफियाओं को बिना बंटवारे किये हुये भूमियों की अच्छी किस्म को विक्रय अन्तरण करने पर आमादा हैं। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बिना बंटवारा प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्व में भी कई भूमियों का बेचान कर दिया था। जिससे वादी को मजबूर होकर भू–माफियो के दबाव में आकर अपने हिस्से की भूमियो को बेचान करना पडता हैं। कानूनन बिना बंटवारा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित भूमि का बेचान नही कर सकता व वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स उक्त भूमियों का विधिक बंटवारा करवाने का कानूनी हकदार हैं। अभिनव पैमाईश के [illegible] जब उक्त वर्णित भूमि का पर्चा खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी को उक्त भूमि की 1/2 हिस्सा की खातेदारी कभी

12/06/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भी दर्ज करवा देने का आश्वासन दे दिया जिस पर वादी भरोसा करता रहा। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को बार–बार उक्त वर्णित भूमियों का बंटवारा करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करता रहा भूमियों का बंटवारा नहीं किया दिनांक 03.07.2009 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमियों के बंटवारे के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 साफ इन्कार हो गया कि उक्त भूमियों का बंटवारा नही करूंगा, बिना बंटवारे उक्त भूमियों का मेरे हिस्सेनुसार बेचान करूगा व उक्त वर्णित भूमि जो राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से है। सम्पूर्ण का बेचान करूंगा यही कारण है कि वाद नियोजन आवश्यक हुआ है व हो रहा हैं। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री निम्न प्रकार फरमायी जावें कि उक्त वर्णित भूमि जो पैत्रिक है, उसमें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.88 व खसरा नम्बर 196 रकबा 0.12 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ में 1/2 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा व वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाया जावें। उक्त वर्णित भूमि का वैधानिक बंटवारा करवाया जाकर बंटवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस कराया जाकर वादी को 1/2 भाग का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। वाद वास्ते तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री रामवतार सैनी प्र[illegible] ने पूर्व में जवाब दावा पेश किया था परन्तु बाद में वादी व प्रतिवादी संख्या [illegible] होने पर उनके कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार होने पर उनके वारीसान् वादी के वारिसान् को वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 एंव प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान् को प्रतिवादी

19/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 1/1 से 1/5 को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया गया। वकील वादीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादीया संख्या 1/5 का नाम हजफ किये जाने का निवेदन किये जाने तथा इस पर वकील प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं होने से वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1/5 का नाम हजफ किये जाने की स्वीकृति दी गई। इसके उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4 के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह खर्रा एड0 ने वकालतनामा पेश करते हुए पहचान की तथा उपस्थित वादीगण संख्या 1/1 से 1/3 की पहचान श्री रामजीलाल सैनी एड0 ने की। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की तामील करवाये एक वर्ष से भी अधिक का समय हो जाने के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण संख्या 1/1 से 1/6 के हक में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमनें वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की अन्तिम डिक्री पर बहुपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड [illegible] 2061–2064 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों के [illegible] पिता कन्हैयालाल के कर्त्ता खानदान होकर रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार होना [illegible] उक्त भूमि पक्षकारान् की पैत्रिक भूमि होना सिद्ध होता है। उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:15 IST
Reason: SelfAttested

12/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

से संयुक्त रूप से कब्जे काश्त होना तथा उक्त भूमि का आदिनांक तक वैधानिक बटवारा नही होना भी प्रकट होता है। प्रतिवादी के नाम उक्त भूमि की खातेदारी सैटलमेंट के दौरान वादी के अल्पायु में होने के कारण अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रतित होता है। वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार कौटुम्ब से होना पत्रावली पर उपलब्ध सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। उक्त भूमि के पैत्रृक भूमि होने तथा वादी व प्रतिवादी के एक ही परिवार से होने के आधार पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 88 के तहत अपने खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा करवाने के अधिकारी होना प्रकट होता है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी के मध्य बराबर–बराबर की जाकर उसी अनुसार उनके मध्य खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना तथा उसी अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 के तहत विधिक बंटवारा किये जाने के हकदार होना प्रतित होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में वादीगण एंव प्रतिवादीगण पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों का अपने मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कब्जे काश्त अनुसार रास्ते की सुविधा का प्रावधान करते हुए कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है।

प्रकरण में वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों में वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 को 1/2 हिस्से का एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/4 को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके मध्य विधिक विभाजन रास्ते की सुविधा उपलब्ध [illegible] बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर [illegible] संख्या 1/1 से 1/6 एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/4 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से

19/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु बकुलाय उभय पक्षकारान् ने अपनी – अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। वकील वादीगण के निवेदन व वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में वादग्रस्त आराजी भूमियों में वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 को 1/2 हिस्से का एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/4 को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके मध्य विधिक विभाजन रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालने हेतु वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.88 हैक्टर व खसरा नम[illegible]बा 0.12 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्टर के 1/2 भाग का वादीगण [illegible]या 1/1 लगायत 1/6 को तथा शेष 1/2 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4 को काबिज खातेदार

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों का पक्षकारान् वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 एंव प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 के मध्य वैधानिक बंटवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस कराया जाकर वादीगण संख्या 1/1 से 1/6 को 1/2 भाग का व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4 को 1/2 भाग का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर अलग से खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 के 1/2 हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/06/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गयज्ञं

19/06/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)